बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या FC- 632

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 19/07/2017

विषय – गया जिलान्तर्गत बांकेबाजार प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.10 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि गया जिलान्तर्गत बांकेबाजार प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.10 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाँकेबाजार का प्रस्ताव वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित भूमि पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या C/F-17053/54-24R दिनांक 12.05.1954 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित परियोजना गया जिलान्तर्गत बांकेबाजार प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर के निर्माण हेतु 1.10 हे० वन भूमि का अपयोजन एवं 202 वृक्षों के पातन का आकलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा किया गया है। अपयोजित होने वाली वन भूमि को मूल टोपो शीट पर दर्शाया गया है एवं Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.2 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) का प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अपयोजित होने वाली भूमि प्राकृतिक वन भूमि है जिसके लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 1.10 हे० गैर वन भूमि, गया जिला के बाँकेबाजार प्रखंड अन्तर्गत मौजा लुदुआ, थाना शेरघाटी, संख्या 249, खाता संख्या 331 एवं खेसरा संख्या 1658 रकवा 1.10 हे० चिन्हित किया गया है जो पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित गैर वन भूमि पर वनीकरण कराने का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा तैयार की गयी है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। गैर वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

मोबाईल न० 8986153139 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 1.10 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 688600/– (रूपये छः लाख अठ्ठासी हजार छः सौ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गया जिला के बाँकेबाजार प्रखंड अन्तर्गत मौजा लुटुआ, थाना शेरघाटी, संख्या 249, खाता संख्या 331 एवं खेसरा संख्या 1658 रकवा 1.10 हे० चिन्हित किया गया है जिस पर वनीकरण कराने का प्राक्कलन रूपये 12,94,761/– मात्र का तैयार किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

AKPandey 19/07/17

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

मोबाईल न० 8986153139 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com